

डॉ. भीमराव आंबेडकर और दलित सुधार के आन्दोलन

**Mahendar Kumar,
Associate Professor, Govt College Bayana**

जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले की सैनिक छावनी मिलिट्री हेडक्वार्टर महु मे हुआ था। माता का नाम भीमाबाई, पिता रामजी राव सकपाल जो अंग्रेजी फौज में सूबेदार थे। पिता रामजी राव सकपाल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बावडे नामक छोटे से गांव के मूल निवासी थे।

1:- बहिष्कृत हितकारिणी सभा- 1924 में यानी इंग्लैण्ड से हमें आने के लिए लौटने के कुछ ही समय बाद आंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया, जिसे डिप्रेस्ड क्लासेज इन्स्टिट्यूट के नाम से भी जाना जाता है बलूत व्यवस्था का कानूनन उन्मूलन भी इसके उद्देश्यों में से एक था, साथ ही उसने महारों को वतनदार के रूप में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में भी मदद दी।

आंबेडकर ने मूक नायक के स्थान पर 1927 में बहिष्कृत भारत नामक अखबार निकालना शुरू किया। बहिष्कृत भारत के माध्यम से भी वतन व्यवस्था के उन्मूलन का अभियान चलाया गया। 1920 में बॉम्बे प्रेजिडेंसी की लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियुक्त किए गए पहले अस्पृश्य सदस्य डी. डी. धोलप ने कुछ साल पहले इसी मकसद से काउंसिल में एक विधेयक भी पेश किया था। मुख्य रूप से महारों के जीवन से सम्बन्धित वतन व्यवस्था के मामले में सक्रियता और पदाधिकारियों में महारों की संख्या अनुपात से ज्यादा होने के बावजूद बहिष्कृत हितकारिणी सभा कोई जातीय संगठन नहीं थी। जैसा कि इसके नाम से संकेत मिलता है। यह सभी अस्पृश्यों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई संस्था थी। (इसमें चमारों और ढोरो को भी प्रतिनिधित्व मिला हुआ था।) **शिक्षा एका** संगठन इसका ध्येय वाक्य था। यहाँ प्राथमिकताओं का क्रम भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें शिक्षा के माध्यम से समाज सुधारकों की आकांक्षाओं का पता चलता है। फुले की सारी चेष्टाओं और अंग्रेजों द्वारा खोली गई विविध शालाओं के बावजूद अस्पृश्यों के लिये उपलब्ध शिक्षा की हालत बहुत खस्ता थी इसी के चलते सुधारकों को अस्पृश्यों की शिक्षा पर अपने प्रयास केन्द्रित करने की प्रेरणा मिलती थी इन्हीं हालात में शिंदे ने बम्बई में अस्पृश्यों के लिए आरक्षित पाठशालाओं का नेटवर्क तैयार किया जिनमें 1916 तक लगभग 500 विधार्थी पढ़ रहे थे। अपनी विरादरी के लोगों में शिक्षा के आभाव से आंबेडकर भी चिन्तित थे लिहाजा बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संविधान में शिक्षा को समाज सुधारों से भी ऊपर जगह दी गई थी

बहिष्कृत हितकारिणी सभा के उद्देश्यों की औपचारिक सूची निम्न प्रकार थी।

- 1• छात्रावासों की स्थापना या अन्य अनिवार्य अथवा वांछनीय दिखाई पड़ने वाले साधनों की मदद से डिप्रेस्ड क्लासेज के बीच शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना।
- 2• पुस्तकालयों, सामाजिक केन्द्रों और कक्षाओं अथवा अध्ययन चक्रों की स्थापना के माध्यम से डिप्रेस्ड क्लासेज के बीच संस्कृति के प्रसार को प्रोत्साहान देना।
- 3• औद्योगिक एवं कृषि शालाओं की स्थापना करके डिप्रेस्ड क्लासेज की आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना।
- 4• डिप्रेस्ड क्लासेज की समस्याओं को प्रतिनिधित्व देना।

बेहतर शिक्षा की चाह के साथ-साथ उस समय अम्बेडकर की सोच में संस्कृतिकरण के मूल्यों की जड़े भी बहुत गहरी थी। इसके अलावा एसोसिएशन ने जिन सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहान दिया वे दरअसल सवर्णों के ही मूल्य थे। महार हाकी क्लब जिसकी डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापना की गई थी।

के रूप में हमें इन हालात का एक बड़ा सकते में डाल देने का उदाहरण दिखाई देता है क्योंकि यह क्लब अस्पृश्यों को जुआखोरी, शराबखोरी और दूसरी विकृतियों व मनोरंजन के अस्वास्थ्यकर तरीकों से दूर रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ऐसा लगता था मानो अस्पृश्यों के लिए समानता का मार्ग तभी खुल सकता है जब पहले उन्हें संयम के ब्राह्मणवादी गुणों का पाठ अच्छी तरह पढ़ा दिया जाए। डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट के संविधान में यह मत भी व्यक्त किया गया था कि (उच्च वर्गों) के सहयोग और सहानुभूति के बिना डिप्रेस्ड क्लासेज के लिए अपनी मुक्ति का मार्ग ढूँढना सम्भव नहीं होगा। लिहाजा संगठन ने अस्पृश्यों को हिन्दू जगत में समेकित करने के लिए दो मुख्य मांगों पर जोर दिया। उन्हें मन्दिरों में प्रवेश और कुओं के प्रयोग की अनुमति दी जाए जिनमें उन्हें अभी तक दूर रखा गया था।

2• पीपुल्स एज्यूकेशन सोसाइटी की स्थापना:— डॉ. अम्बेडकर की प्रबल इच्छा थी कि अछूतों की शिक्षा के लिए उच्च कोटि का केन्द्र स्थापित हो उनकी यह प्रबल इच्छा उस समय पूरी हुई जब उन्होंने 20 जुलाई, 1946 को पीपुल्स एज्यूकेशन सोसाइटी की स्थापना की। सर्वप्रथम सोसाइटी ने बम्बई में बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ पर एक कॉलेज खोला। सिद्धार्थ कॉलेज शुरू में कियुंज रोड पर कटिया में खोला, बाद में फोर्ट इलाके में दो इमारतें— मेकवा बिल्डिंग और अलबर्ट बिल्डिंग खरीदी गई। पहली का नाम बुद्ध भवन और दूसरी का नाम आनन्द भवन रखा गया। 1951 में सिद्धार्थ कॉलेज इन शानदार इमारतों में लाया गया। इन्हीं इमारतों में 1951 से सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड साइन्स, 1953 से सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स

और 1955 से सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ चल रहे हैं। 1972 में सोसाइटी ने बडाला में भी डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स स्थापित किया।

सोसाइटी ने बाबा साहब के नेतृत्व में औरंगाबाद में भी एक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जिसका नाम जगत् प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के नाम पर 'नागसेन वन' रखा गया। महाराष्ट्र प्रान्त का मराठवाडा क्षेत्र निजामाही के दिनों से शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ था। बाबा साहब ने निजाम हैदराबाद से नाममात्र की कीमत पर 150 एकड़ से अधिक जमीन खरीद ली। इस जमीन में ज्यादातर कब्रें थी जिन्हें तोड़ते और गिराते हुए मजदूर भी डरते थे। बाबा साहब 1951 के पश्चात प्रायः नागसेन वन में ठहरते। मजदूरों और लोगों का डर दूर करने के लिये वह स्वयं कब्रों को खोदते और एक छोटी सी टोकरी में मुर्दों की हड्डियों को एकत्र करके एक गढ़वे में डालते जाते। जो लोग मिलने आते उनसे वे पूछते : हाँ कैसे आना हुआ? लोग उत्तर देते बाबा साहब दर्शन के लिये। अच्छा दर्शन तो हो गये अब मेरे साथ मिलकर काम करो। बाबा साहब उन्हें आदेश देते। जो कॉलेज औरंगाबाद में स्थापित किये गए उनका नाम मिलिन्द महाविद्यालय रखा गया। मिलिन्द वह महान् सम्राट थे जिनके भिक्षु नागसेन के साथ प्रेनोत्तर प्रसिद्ध है। इनके सवाल जवाब 'मिलिन्द पत्रा' नामक ग्रन्थ में प्रकाशित किये गये हैं। मिलिन्द और नागसेन की ऐतिहासिक जोड़ी को बाबा ने औरंगाबाद में अमर बना दिया।

सोसाइटी की ओर से उस महाड में एक कॉलेज खोला गया जिसमें स्थित चौदार तालाब में से पानी की बूंद से बंचित रखा गया था। पत्थरों के बदले विद्या कितना बड़ा और कैसा उत्तम दान है यह, इसी का नाम तो महादान है। सिद्धार्थ कॉलेजों और मिलिन्द महाविद्यालयों ने गरीबों और शोषितों को विद्या तो प्रदान की ही, इन शिक्षा केन्द्रों ने उनमें एक नई जागृति और एक नया उत्साह भी पैदा किया।

3. महाड सम्मेलन 1927— समाज सुधारक से राजनेता बने एस.के.बोले द्वारा 4 अगस्त 1923 को बम्बई की

लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्ताव पारित होने के बाद 1927 में महाड सम्मेलन आयोजित किया गया था। एस.के. बोले द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में ये प्रावधान किया गया था कि अस्पृथ्यों को कुओ, धर्मशालाओ, स्कूलो, न्यायालयो, शासकीय कार्यालयो एवं सरकारी दवाखानों में जाने और उनका प्रयोग करने का अधिकार दिया जाए।

इस प्रस्ताव के पारित होने के बावजूद व्यवहार के धरातल पर अस्पृथ्यों को कोई लाभ नहीं मिला। लिहाजा तीन साल बाद अगस्त 1926 में बोले ने एक नया प्रस्ताव पेश किया और सरकार से माँग की कि उन नगरपालिकाओं व स्थानीय निकायों को मिलने वाली सब्सिडी रोक दी जाए

जो उन प्रावधानों को लागू करने को तैयार नहीं हैं। इस प्रस्ताव के भय से बहुत सारी नगरपालिकाएँ तो रास्ते पर आ गईं मगर सवर्णों के विरोध की वजह से उनके आदेशों का पालन विरले ही हो पाता था। कोलाबा जिले में स्थित महाड कस्बा इसका एक अच्छा उदाहरण था जहाँ अस्पृथ्यों को कुछ खास कुओं के इस्तेमाल की बिल्कुल छूट नहीं थी।

मार्च 1927 में यहाँ आंबेडकर ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कई गैर-दलित नेताओं का भी समर्थन शामिल था। इन नेताओं में कायस्थ जाति से एस. टिपनीस और मराठा नेता के.एम. जेडे भी शामिल थे। जेडे उस समय पूना में गैर-ब्राह्मण आन्दोलन के निखर पर थे। हाल ही में आंबेडकर उनकी ओर से एक मुकदमा भी लड़ चुके थे। महाड सम्मेलन में आंबेडकर ने जो भाषण दिया वह संस्कृतिकरण के सिद्धन्तों के अनुरूप था कोई स्थायी तरक्की तब तक सम्भव नहीं है जब तक हम खुद शुद्धिकरण की त्रिस्तरीय प्रक्रिया से नहीं गुजरेगे। हमें अपने आचरण का सामान्य स्वर सुधारना होगा, अपने उच्चारण को साधना होगा और अपने विचारों को पुनर्जीवित करना होगा। लिहाजा इस अवसर पर मैं आपसे यह शपथ लेने की अपील करता हूँ कि आइन्दा आप मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएँगे।

19-20 मार्च 1927 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने महाड में कोलाबा जिला बहिष्कृत सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के दूसरे दिन अनंतराव चित्रे ने अचानक एक प्रस्ताव रखते हुए कहा कि सब लोग पानी के टैंक की ओर चले और पानी पीएँ। उन्होंने कहा मैंने पहले ही तय कर लिया था और मौके पर बम का गोला फेंक दिया। पन्द्रह सौ उत्साही लोगों का सैलाब एकाएक टैंक की ओर बढ़ चला और पानी पीने लगा। शहर में खबर फैलते ही अन्य हिन्दू जातियों के क्रुद्ध लोग इकट्ठा होने लगे। उन्हें भय था कि अब दूसरा आक्रमण मंदिरों पर होगा। इसी के चलते उन लोगों ने अछूतों की पिटाई शुरू कर दी। बाद में ब्राह्मणों ने टैंकों के शुद्धीकरण की रस्म अदा की।

दिसम्बर 1927 को दूसरे महाड सम्मेलन में डॉ. आंबेडकर ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने जाति व्यवस्था के समूल नाश का आह्वान किया। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों का हवाला दिया और महाड सम्मेलन की तुलना वर्साप में आयोजित एस्टेट्स जेनरल से भी की जहाँ पहली बार थर्ड एस्टेट के लोगों ने एक सामूहिक और औपचारिक पद्धति से अपने विद्रोह का ऐलान किया था।

सबसे पहले मैं हमारा विरोध कर रहे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस चवदार तालाब का पानी न पीने से हम मर जाने वाले जाने वाले नहीं हैं। औरों की तरह हम भी मनुष्य हैं हम तो बस यह साबित करने के लिए तालाब तक जाना चाहते हैं(.....)। यह सम्मेलन इस भूमि पर

समानता के युग का सूत्रपात करने के लिए बुलाया गया है। अस्पृश्यता के उन्मूलन और अर्न्तजातीय भोज से ही हमारी सारी समस्याएँ खत्म नहीं होंगी। न्यायालय, सेना पुलिस और वाणिज्य जैसे तमाम सरकारी महकमों को हमारे लिए खोला जाना चाहिए(.....)। हमें हिन्दू समाज को जातिवाद के उन्मूलन और समानता के दो सिद्धांतों पर फिर से खड़ा करना होगा। इस भाषण के बाद मानवाधिकारों के पक्ष में दिए गए वक्तव्य और मनुष्यों की अविभाज्य समानता के प्रस्ताव पर लोगों ने हाथ उठाकर अपना समर्थन दिया। इसके बाद दो और प्रस्ताव पेश किए गए। पहले प्रस्ताव में हिन्दू समाज के भीतर मौजूद आन्तरिक विभाजनो को खत्म करने का आह्वान किया गया ताकि अन्ततः इसमें सिर्फ एक श्रेणी के लोग रह जाएँ। दूसरे प्रस्ताव में ये अपील की गई कि सभी को पुजारी का व्यवसाय अपनाने का अधिकार दिया जाए।

कई वक्ताओं ने मनु के कानूनों यानी मनुस्मृति की निन्दा भी की। मंच के सामने ही एक चबूतरे पर मनुस्मृति की एक प्रति भी रखी गई थी जिसे बाद में एक दलित संन्यासी ने जलाया था। अगले दिन आंबेडकर ने चवदार तालाब तक निर्बार्धि पहुँच का अधिकार हासिल करने के लिए एक सत्याग्रह शुरू किया जिसमें लगभग 4000 लोगों ने हिस्सा लिया। जिला मजिस्ट्रेट ने सत्याग्रहियों से आह्वान किया कि वे शांति बनाए रखें क्योंकि सवर्ण हिन्दू इस मामले पर यह दावा करते हुए अदालत में वाद दायर कर चुके हैं कि यह निजी सम्पत्ति का मामला है: लिहाजा इस मामले में अदालत के फैसले का इन्तजार करना बेहतर होगा। मजिस्ट्रेट के इस आग्रह पर आंबेडकर ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया और तालाब के चारों तरफ एक जुलूस निकाला उनके तरीकों में यह लचीलापन बार-बार दिखाई दिया। विवादों को हाथोहाथ हल करने की बजाय मामले को न्यायालय के विचाराधीन छोड़ देने में भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता था। इस बदलाव में आंबेडकर की वैधानिकता यहाँ तक कि संवैधानिकता में आंबेडकर की आस्था का संकेत मिलता है। इस खास मामले में अदालतों ने 1937 में उनके फैसले को जायज ठहराया था।

4. आंबेडकर द्वारा धार्मिक सुधार— 1920 में शुरू किए गए उनके अखबार मूक नायक के शीर्षक के नीचे तुकाराम के एक दोहे को जगह दी गई जिसमें कहा गया था कि किस तरह बेआवाज 'सरल' लोगो को ही अवमानना का दोषी ठहरा दिया जाता है। मगर आंबेडकर ने साधु-संन्यासियों की पूजा से उनके अनुयायियों पर पड़ रहे हानिकारक प्रभावों पर निश्चय ही बहुत तेजी से कार्यवाई की। प्रमुख त्यौहारों के दौरान वह तीर्थ स्थानों पर जाते और अस्पृश्यों से मिलकर उन्हें हिन्दुओं के साथ सहयोग न करने के लिए प्रेरित करते। यहाँ तक कि उन्होंने विठोबा मंदिर में चोखोबा की पूजा के लिए पठरपुर जाने की अपनी पत्नी की इच्छा को भी

दुकरा दिया था क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें मन्दिर में प्रवे"ी ही नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा एक सद् जीवन निःस्वार्थ सेवा और उत्पीडितों के हित में निष्कपट बलिदान के रास्ते पर चलकर हमें एक और पंढरपुर बनाना होगा।

धीरे-धीरे आंबेडकर ऐसे अस्पृथ्यों पर और तेज हमले करने लगे जो अभी भी तीर्थ यात्राओं पर जाते थे। खंडोवा के बड़े त्योहार के दौरान उन्होंने एलान किया हमारी कितनी पीढ़ियों ने भगवान की ड्योढी पर माथा रंगड-रंगडकर खुद को खत्म कर लिया हैं। कभी भगवान को तुम पर दया आई उसने तम्हारे लिए कौन सा बड़ा काम कर दिया। पीढी दर पीढी तुम गाँव का कचरा साफ करते रहे और भगवान तुम्हें खाने के लिए मरे हुए जानवर देता रहा फिर भी भगवान ने तुम पर कोई दया नहीं दिखाई। तुम असल में किसी भागवान की पूजा नहीं करते तुम अपनी अज्ञानता की उपासना कर रहे हो।

इस प्रकार आंबेडकर ने तमाम तरह के धार्मिक व्यवहारों को खारिज करके हिन्दू धर्म के साथ अपने विच्छेद को एक पूर्णता दे दी थी। जनवरी 1928 में उन्हें नासिक के निकट त्रियम्बक में डिप्रेस्ड क्लासेज की मीटिंग की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया था जहाँ पन्द्रहवीं शताब्दी के महान दलित सन्त चोखामेला के मन्दिर के निर्माण पर चर्चा होने वाली थी। आंबेडकर ने इस प्रस्ताव का उग्र विरोध किया। उनका कहना था कि साधु-सन्त और उनकी आधुनिक विरासत एक ब्राह्मण और एक शूद्र के बीच केवल आध्यात्मिक आचरण के स्तर पर ही समानता को बढ़ावा दे सकती है यह विरासत एक ब्राह्मण और एक शूद्र को एक दूसरे के बराबर नहीं ला सकती जाति के उन्मूलन की द्रष्टि से देखें तो (.....) सन्तों के संघर्ष से समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मनुष्य का मूल्य स्वयं सिद्ध है, स्वतः स्पष्ट है: यह मूल्य उसे भक्ति के मार्ग चलकर नहीं मिलता है। सन्तों ने इस बिन्दु को सिद्ध करने के लिए संघर्ष नहीं किया। इसकी बजाय उनके संघर्ष से डिप्रेस्ड क्लासेज पर बहुत अहितकारी प्रभाव पड़ा है। इससे ब्राह्मणों को यह कहकर डिप्रेस्ड क्लासेज को चुप कराने का एक बहाना मिल गया है कि उन्हें तभी सम्मान मिलेगा कि जब वे भी चोखामेला जैसा ऊँचा स्थान प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार आंबेडकर ने धार्मिक लोगो द्वारा समानता के आन्दोलन को भटकाने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों को तार-तार करके रख दिया। उन्होंने ऐसी समानता को स्वीकार नहीं किया जो केवल आध्यात्मिक धरातल तक ही सीमित हो। इसकी बजाय उन्होंने सामाजिक समानता पर जोर दिया। मन्दिरों में प्रवे"ी के सवाल पर भी वह यही तक लेकर चलते थे। मूक नायक के पहले सम्पादकीय में आंबेडकर दो सम्भावनाओं के बीच झूल रहे हैं। वह इस दुविधा से जूझ रहे हैं कि एक अस्पृ"य के पास खुद अपने मन्दिर होने चाहिए या उसे हिन्दुओं के मन्दिर में प्रवे"ी के लिए दबाव बनाना

चाहिए। बीस के दशक के मध्य तक वह अभी भी अस्पृथ्यों के लिए मन्दिरों के द्वार खोलने पर जोर दे रहे थे। 1924 के वायकम आन्दोलन में उनकी रुचि का कारण भी यही था। त्रावणकोर राज्य (मौजूदा केरल राज्य) में स्थित वायकम शहर के ब्राह्मणों ने मन्दिर में प्रवेश और उसके सामने से गुजरने वाली सड़क से डिप्रेस्ड क्लासेज के लोगों के गुजरने पर पाबन्दी लगाई हुई थी। इसी के विरुद्ध स्थानीय लोगों द्वारा एक सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया गया था। यह टकराव उस समय सुर्खियों में आ गया जब गांधी ने वायकम का दौरा करने के बाद सत्याग्रहियों का पक्ष लिया था। 1925 में जब टकराव चल रहा था उसी समय आंबेडकर ने ऐलान किया कि: आज देश भर में हमारे लिए वायकम में चल रहा सत्याग्रह ही सबसे महत्वपूर्ण घटना है। आन्दोलन के फलस्वरूप आखिरकार अस्पृथ्यों के लिए सड़क खोल दी गई मगर मन्दिर में प्रवेश का सवाल 1936 तक हल नहीं हुआ। फिर भी 1936 में भी अस्पृथ्यों को इस मन्दिर में प्रवेश का अधिकार मिलना देश के शेष भागों के मुकाबले काफी बड़ी घटना थी। इस बीच महारों ने एक मन्दिर में प्रवेश का अपना पहला आन्दोलन शुरू किया। जी.ए. गवई के नेतृत्व में यह आन्दोलन 1927 में अमरावती में शुरू किया गया। आंबेडकर ने इस आन्दोलन को समर्थन तो दिया मगर अपने भाई के देहान्त के कारण खुद इसमें शामिल नहीं हो पाए। यह आन्दोलन जल्दी ही मन्द पड़ गया। 1929 में पूना के पार्वती मन्दिर में प्रवेश के सवाल पर हुआ सत्याग्रह एक बिल्कुल अलग स्तर का आन्दोलन था। त्रिवराम जानबा कांबले ने इस कार्यवाही का नेतृत्व किया जिसमें ब्राह्मण सुधारकों ने भी हिस्सा लिया। यहाँ आंबेडकर की भूमिका अमरावती से भी ज्यादा सीमित रही। इस आन्दोलन की गति भी जल्दी ही क्षीण पड़ गई और अस्पृथ्यों को इस मन्दिर में प्रवेश का अधिकार 1947 तक नहीं मिला।

5. कालाराम मन्दिर प्रवेश 1930 :- डॉ. भीमराव आंबेडकर नासिक के काला राम मन्दिर में प्रवेश को अपना कोई लक्ष्य नहीं बल्कि यह समाज परिवर्तन के एक साधन के रूप में देखते थे इस अवसर पर दिए गए उनके पहले भाषण से इस बात की पुष्टि होती है:

तुम्हारी समस्याएँ (केवल) मन्दिर में प्रवेश से हल होने वाली नहीं हैं। राजनीति अर्थशास्त्र शिक्षा, धर्म—ये सभी इस समस्या के हिस्से हैं। आज का सत्याग्रह हिन्दू मस्तिष्क के लिए एक चुनौती है। हिन्दू हमें मनुष्य मानने को तैयार हैं या नहीं ! यह हमें आज पता चल जाएगा। हम जानते हैं कि मन्दिर का भगवान पत्थर का है। उसके दर्शन और पूजा से हमारी समस्याएँ हल नहीं होंगी। फिर भी हम आगे जरूर बढ़ेंगे और हिन्दूओं के दिमागों को बदलने की कोशिश करेंगे।

आन्दोलनकारियों और सवर्णों के बीच हिंसा की छिटपुट वारदातें हुई। थोड़े दिनों बाद सवर्णों ने कुछ महारों को मन्दिर पर होने वाले वार्षिक उत्सव के दौरान रथ खींचने से रोक दिया। यह हाल ही में हुए एक समझौते का उल्लंघन था। इस घटना से आंबेडकर की प्रतिबद्धता को बल मिला मगर अन्ततः उन्होंने 1934 में इस आन्दोलन से खुद को दूर कर लिया। उन्हें डर था कि कहीं उनके समर्थक इस तरह के साधारण महत्व वाले धार्मिक मुद्दे को जरूरत से ज्यादा महत्व न देने लग जाएँ:

मैंने मन्दिर प्रवे"ी आन्दोलन यह सोचकर शुरू नहीं किया था कि मैं डिप्रेसड क्लासेज को उन मूर्तियों का उपासक बनाना चाहता हूँ जिनकी उपासना से उन्हें वंचित रखा गया है। मैं यह मानता हूँ कि मन्दिर में प्रवे"ी से डिप्रेसड क्लासेज के लोग हिन्दू समाज के समान और अभिन्न सदस्य बन जाएँगे। जहाँ तक इस पहलू का सवाल है तो मैं डिप्रेसड क्लासेज को यही सलाह दूँगा कि वे हिन्दू समाज का अभिन्न अंग बनने पर सहमति देने से पहले हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म"ी आस्र के आमूल पुनर्गठन पर जोर दें। मैंने मन्दिर प्रवे"ी सत्याग्रह केवल इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यह डिप्रेसड क्लास में ऊर्जा भरने और उन्हें अपने हालात के प्रति सचेत बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। मेरा मानना है कि मैंने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है लिहाजा मन्दिर प्रवे"ी के सवाल का अब मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है।

मैं चाहता हूँ कि डिप्रेसड क्लास अपनी ऊर्जा और संसाधन राजनीति और िक्षा पर केन्द्रित करें और मैं आ"ी करता हूँ कि वे इन दोनों का महत्व समझेंगे। भले ही यह अस्पृथ्यों को गोलबन्द करने का एक उचित साधन रहा हो मगर आंबेडकर के लिए मन्दिरों में प्रवे"ी का दावा असल में यह माँग करने का एक तरीका भर था कि उन्हें भी उस हिन्दू धर्म में जगह दी जाए जिसकी जाति व्यवस्था ने उन्हें अधीनस्थ हैसियत में कैद किया हुआ है। अन्ततः आंबेडकर ने मन्दिर में प्रवे"ी के मुद्दे सहित इस सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह खारिज कर दिया। निसन्देह आंबेडकर यह देखकर भी हता"ी हुए थे कि असेम्बलियों में बैठे सवर्ण प्रतिनिधि मन्दिरों में अस्पृथ्यों के प्रवे"ी को कानूनी मान्यता देने वाले कानून पारित करने के लिए तैयार नहीं थे। गौरतलब है कि 1934 में दिल्ली स्थित सेंट्रल असेम्बली के ज्यादातर सदस्यों ने रंगा अय्यर द्वारा पे"ी किए गए मन्दिर प्रवे"ी विधेयक को नामंजूर कर दिया था। एक समाज"ी आस्र के तौर पर आंबेडकर ने जाति व्यवस्था का गहन विप्लेषण किया ताकि वह उसके खिलाफ ज्यादा अच्छी तरह संघर्ष कर सके।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने निष्कर्ष उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय समाज की जातीय व्यवस्था और हिन्दू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए बिता दिया इतना ही नहीं उनका

जीवन खास तोर पर दलितो और पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष"ील रहा। उन्होने हमें"ा महिलाओं को िाक्षा देने पर जोर दिया। बाबा साहब आंबेडकर के प्रयासों और संघर्षमय जीवन के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ:

1. बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर एक परिचय
2. डॉ. आंबेडकर कुछ अनछुए प्रसंग लेखक नानक चन्दरतू सम्यक प्रका"ान प"िचमपुरी नई दिल्ली
3. डॉ. भीमराव आंबेडकर विचार और वि"लेषण लेखक प्रो. (डॉ) बाबू लाल मीना , डॉ आ"ा सिंह रावत िावालिक प्रका"ान नई दिल्ली
4. अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर गेल ओमवेर अनुवाद डॉ पूरन चन्द टंडन पेगुइन बुक्स पेगुइन रेडम हाउस इम्प्रिंट
5. डी. रामराव (महुली के उपनिरीक्ष पुलिस आयुक्त बॉम्बे दिसम्बर 192)
6. बॉम्बे क्रॉनिकल 26 अप्रैल 1926 वही पृ. 8
7. जे. गोखले रियायतों से टकराव तक उद्धृत पृ. 84
8. डी कीर, डॉ अम्बेडकर ऑप सिट पी. 62
9. सोर्स मेटेरियल ओपी. सिट पी. पी. 6-7 आंबेडकर मे तीस के द"ाक के मध्य
10. ए. जैलियर डी. आर अम्बेडकर ओपी. सिंह पी. 122 में
11. दलित वर्ग संस्थान की ओर से अपील (1931) प्राइवेट
12. 5 कीट डी आर अम्बेडकर ओपी सिंह पी.52
13. दामोदर रुजाजी जाधव (न. जाधव इनटचेनल ओपी सिंर पी 43) की गवाही
14. बी. काबले , नोट्रे इक्सिस्टेंस इविद पी. 242
15. हिन्दू नारी का उत्थान और पतन डॉ.बी.आर.अम्बेडकर
16. डी.आर. जाटव डॉ. अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व